कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2292/1/तकनीकी/2005 भोपाल, दिनांक 9/9/2005.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक,
मध्यप्रदेश.

विषय :– भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47–क(1) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को प्रकरण संदर्भित करने के संबंध में ।

–––0–––

मध्यप्रदेश राज्य में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–क(1) के अंतर्गत प्रावधानित है कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत किसी दस्तावेज में, इसके द्वारा हस्तांतरित संपत्ति का बाजार मूल्य नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम होने पर उप पंजीयक इसे पंजीबद्ध करने से पूर्व अंतरित संपत्ति का सही बाजार मूल्य एवं इस पर देय स्टाम्प शुल्क की राशि के अवधारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित करेगा ।

उपर्युक्त के पालन में राज्य में वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके अनुसार हस्तांतरण–कर्ता की निष्पादन की स्वीकृति एवं शिनाख्त संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् दस्तावेज कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया जाता है । उक्त प्रक्रिया के दुरूपयोग के अनेक मामले प्रकाश में आये है, जहां पक्षकार दस्तावेज पर नाम मात्र का स्टाम्प शुल्क चुका कर प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को संदर्भित करा देते है तथा बाद में इसके निराकरण में कोई रूचि नहीं लेते है । इससे शासन का राजस्व, जो दस्तावेज के निष्पादन के समय ही प्राप्त हो जाना चाहिए था, लंबी अवधि तक बिना वसूली के रह जाता है ।

राजस्व के इस प्रकार लंबित रहने का एक प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान प्रक्रिया में दस्तावेज के पंजीयन में विक्रेता की ओर से अपेक्षित संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो जाती है तथा उप पंजीयक को केवल पंजीयन का प्रमाण–पत्र अंकित करना शेष रह जाता है । इस प्रकार पक्षकार दस्तावेज का शीघ्र पंजीयन कराने के प्रति निश्चिंत हो जाते है, जिसका यह परिणाम होता है कि दस्तोवज कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् के कार्यालय में वर्षों तक लंबित रहते है।

निरंतर......2

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की की धरा 47–क(1) के अंतर्गत संदर्भित करने की कार्यवाही हस्तांतरण–कर्ता की शिनाख्त एवं निष्पादन की स्वीकृति की कार्यवाही के पूर्व ही की जाये, अर्थात् मात्र प्रस्तुतीकरण के पृष्ठांकन के पश्चात् कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को संदर्भित किया जाये ।

हस्ता / –

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.